

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान परियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है	टिप्पणी		
1.	श्री देवराज सिंह	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	निर्माण खण्ड लो०नि०वि० थराली (चमोली)	अल्मोड़ा / रानीखेत	<ol style="list-style-type: none"> 1. रामनगर 2. काशीपुर 3. हल्द्वानी 4. नैनीताल 5. भवाली 6. काठगोदाम 7. रुद्रपुर 8. खटीमा 9. रानीखेत 10. अल्मोड़ा 	धारा के नाम के आगे लगायें <input checked="" type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख)(छ)	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	मे विगत छः वर्षों से दुर्गम क्षेत्र में कार्यरत हूँ तथा मेरी आयु 58 वर्ष है सेवाकाल के अन्तिम समय में पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन किया जाना है अतः कॉलम 6 में अंकित स्थानों में मुख्य प्रशा० अधिकारी के पद पर मेरा स्थानान्तरण करने की कृपा करें।

नोट:-कॉलम संख्या-07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, सभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम-देवराज सिंह

पदनाम-मुख्य प्रशासनिक अधिकारी



हस्ताक्षर (कार्यालयीय)

नाम- ड. दिनेश मोहन गुप्ता


पदनाम

अधिसारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
थराली (चमोली)

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2 (संशोधित)

क्र० सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद / तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐंच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है	टिप्पणी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री विनोद कुमार 42008425	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, बड़कोट	जनपद-गढ़वाल तहसील-पौड़ी	1. प्रान्तीय खण्ड लैन्सडाऊन 2. निर्माण खण्ड दुगड़डा 3. प्रा०ख० रुद्रप्रयाग 4. निर्माण खण्ड श्रीनगर 5. अरथाई खण्ड ऋषिकेश 6. निर्माण खण्ड देहरादून 7. रा०मा० खण्ड डोईयाला 8. वि०/यौ० खण्ड देहरादून 9. रा०मा० खण्ड देहरादून 10. नि०ख० पीडी	धारा के नाम के आगे सही (✓) का लगाए 17(1)(ख)(एक) [] धारा 17(1)(ख)(एक) [✓] धारा 17(1)(ख)(दो) [] धारा 17(1)(ख)(तीन) [] धारा 17(1)(ख)(चार) [✓] धारा 17(1)(ख)(पांच) [] धारा 17(1)(ख)(छ) [] धारा 17(1)(ख)(सात)	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	प्रार्थी को ल्यचा रोग (स्कीन एलर्जी) की समस्या रहती है जिस हेतु पूर्व में भी अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु निवेदन किया गया है।

हस्ताक्षर (कार्मिक)




नाम -

(विनोद कुमार)

पदनाम-

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, बड़कोट

हस्ताक्षर (कर्मविद्याध्यक्ष)



नाम -

(इ० मनोहर सिंह)

पदनाम -

अधिशारी अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, बड़कोट

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र. सं.	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद / ताहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐडिक्व स्टेशन वरिष्ठा क्रम में	एजेंट की श्रावण जिल्लाके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
						7	8	
1	श्री रमेश चन्द्र आर्या	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 रुइकी	अल्मोड़ा / रानीखेत	नि0ख0 लो0नि0वि0 रानीखेत प्रा0ख0 लो0नि0वि0 रानीखेत रा0मा0 खण्ड लो0नि0वि0 रानीखेत नि0ख0 लो0नि0वि0 अल्मोड़ा प्रा0ख0 लो0नि0वि0 रुइकी नि0ख0 लो0नि0वि0 रुइकी नि0ख0 लो0नि0वि0 तेनीताल नि0ख0 लो0नि0वि0 इल्हानी रा0मा0 खण्ड लो0नि0वि0 इल्हानी	धारा के नाम के आगे लगाये धारा 17(1) (ख) (एक) धारा 17(1) (ख) (दो) धारा 17(1) (ख) (तीन) धारा 17(1) (ख) (चार) धारा 17(1) (ख) (पाँच) धारा 17(1) (ख) (छ)	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण चिकित्सा प्रमाण बरिष्ठ कार्मिक	प्राथी बरिष्ठ कार्मिक है, जो गृह जनपद अल्मोड़ा से 600 किमी0 दूरी पर कार्यरत है, प्राथी का सेवाई समय लगभग 7 माह रह चुका है। प्राथी सुगर, थाइराईड हार्ट की बीमारी इत्यादि से पीड़ित है। उपचार रानीखेत से चल रहा है तथा प्राथी की फर्ल एलजी बीपी0, थाइराइड, हार्ट इत्यादि रोगों से पर्याप्त उपचार इल्हानी से चल रहा है (चिकित्सा की छाया प्रतियाँ संलग्न हैं)। पूर्व में भी प्राथी अस्थानान्तरण किये जाने हेतु पत्राचार एवं अनुरोध है। (ध्यायप्रति संलग्न) अतः अनुरोध है कि प्राथी ए कार्मिक होने के साथ-साथ उसके सेवाकाल एवं स मध्य नजर रखते हुए उसके गृह जनपद अथवा उस में से किसी भी एक खण्ड में स्थानान्तरण करने कर्त।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

R. A.
11/5/24

नाम-रमेश चन्द्र आर्या

पदनाम-मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

हस्ताक्षर (कार्यालयध्यक्ष)

(श्री मी0 आरिफ खान)

अधिकारी अनियन्त्रित
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 रुइकी



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुड़की,
e-mail ID-cdpwdroorkee@yahoo.com



पत्रांक 869/4 ई0

दिनांक 04/5/2024

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
"व्यवस्थापन क" वर्ग
लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय:- वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये विकल्प प्रारूप का प्रेषण।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 546/34 व्यक-स्थानान्तरण-सा0/2023 दिनांक 16-04-2024।
महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में श्री रमेश चन्द्र आर्या मुख्य प्रशासनिक अधिकारी द्वारा वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अन्तर्गत अनुरोध के आधार उपलब्ध कराये गये विकल्प प्रारूप-2 में सूचना भरकर आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

सलग्न:- प्रारूप 02 मूल में।

0/C

पत्रांक 869/4 ई0

तददिनांक 04/5/24

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियन्ता क्षेत्रीय कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियन्ता सिविल वृत्त लो0नि0वि0 हरिद्वार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(ई0 एम0ए0 खान)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 रुड़की
02/05/24

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 रुड़की
02/05/24



एस. एन. हॉस्पिटल एण्ड हार्ट सेन्टर

एस. एन. मेडिकल फाउंडेशन एवं रिसर्च सेंटर का एक उपक्रम
निकट रोडवेज स्टेशन, रानीखेत : ☎ (05966) 222588

डॉ. एस. एन श्रीवास्तव

एम.डी. (मेडिसिन)

मिनियर फिजीशियन एवं हृदय रोग, डायबिटीज विशेषज्ञ

M.C.I. Reg. No.-18585 UP, 6585 UK

दिनांक

OPD Prescription

OPD No. : 5701	Date : 30/Jan/2024	Serial No. : 9
Patient Name : Mr. RAMESH CHANDRA	Age / Sex : 59 Years / Male	
Guardian Name:	Valid Upto : 05/Feb/2024	
Department : INTERNAL MEDICINE	UHID No. : 42133	
Address : DWARSO	Consultant: DR. S.N SRIVASTAVA, M.D	

5th 9.23

20 Lido
3x 100mg AV
2 AS

AS 8

20 Lido

AT 200

3x 100mg AV

PULSE 76/c
B.P. 146/90
TEMP.....
SPO2 98.1

4/8
chest pain

Livotalin 100g
Tegulet - 20 mg
med prill - 2.130
Rabsonide 100

Metformin
25
2 1000

[Signature]

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन "ग" वर्ग
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग
देहरादून।

द्वारा:-

उचित माध्यम।

विषय:-

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पद पर निजीहित में स्थानान्तरण करने के संबंध में।

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी वर्तमान में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पर प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 लैन्सडौन में कार्यरत हैं। प्रार्थी ग्राम व पो0 उपराड़ी, तहसील-रानीखेत, जिला अल्मोड़ा का निवासी है। प्रार्थी की आयु वर्तमान में 55 वर्ष से अधिक हो चुकी है, प्रार्थी के बच्चे वर्तमान में रामनगर में अध्यनरत हैं। दूरस्त खण्ड में कार्यरत होने के कारण स्वयं एवं घर व बच्चों की देख-भाल करना सम्भव नहीं हो पा रहा है तथा पत्नी का स्वास्थ्य भी खराब रहता है। प्रार्थी द्वारा 10 वर्षों से अधिक की दुर्गम की सेवा पूर्ण कर ली गई है। महोदय माह 05/2024 में अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0 भवाली में कार्यरत मुख्य प्रशासनिक अधिकारी सेवानिवृत्ति होने वाले हैं।

अतः महोदय से करबद्ध अनुरोध है कि उक्त कठिनाईयो/परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी का निजीहित में स्थानान्तरण अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0 भवाली अथवा रानीखेत के नजदीकी खण्डों में करने की कृपा कीजिएगा।

प्रार्थी आपका आजन्म आभारी रहेगा।
फ़ोनंक 894/4E/अ
दिनांक 29-4-24
प्रार्थी
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
लैन्सडौन गढ़वाल

प्रार्थी,

(सत्यपाल)

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
लैन्सडौन (गढ़वाल)

अग्रिम प्रतिलिपि प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, व्यवस्थापन "ग" वर्ग, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रार्थी का निजीहित में स्थानान्तरण अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0 भवाली अथवा रानीखेत के नजदीकी खण्डों में करने की कृपा कीजिएगा।

प्रतिलिपि प्रान्तीय अध्यक्ष / महामंत्री निनिस्टीयल एसोसिएशन लो0नि0वि0 को प्रार्थी का निजीहित में स्थानान्तरण अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0 भवाली अथवा रानीखेत के नजदीकी खण्डों में करवाने हेतु सादर प्रेषित।

प्रतिलिपि क्षेत्रीय अध्यक्ष / महामंत्री, गढ़वाल को प्रार्थी का निजीहित में स्थानान्तरण अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0 भवाली अथवा रानीखेत के नजदीकी खण्डों में करवाने हेतु सादर प्रेषित।

प्रतिलिपि क्षेत्रीय अध्यक्ष / महामंत्री, निनिस्टीयल एसोसिएशन लो0नि0वि0 कुमायूँ क्षेत्र को प्रार्थी का निजीहित में स्थानान्तरण अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0 भवाली अथवा रानीखेत के नजदीकी खण्डों में करवाने हेतु सादर प्रेषित।

(सत्यपाल)

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
लैन्सडौन (गढ़वाल)

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र० सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/तहसील का नाम	स्थानान्तर हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एवं की धारा, जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है।		टिप्पणी
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	सत्यपाल	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, लैन्सडौन	अल्मोडा / रानीखेत	1. अ०ख०, भवाली 2. प्रा०ख०, रानीखेत 3. नि०ख०, रानीखेत 4. रा०ख०, रानीखेत 5. नि०ख०, रामनगर 6. नि०ख०, काशीपुर 7. नि०ख०, नैनीताल 8. नि०ख०, अल्मोडा 9. नि०ख०, हल्द्वानी 10. रा०गा, हल्द्वानी			महोदय, 05/2024 को अस्पाई खण्ड लो०नि०वि०, भवाली में कार्यरत मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का पद रिक्त होने वाला है अतः अनुरोध है कि प्रार्थी का अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण उक्त खण्ड अथवा रानीखेत के नजदीकी खण्डों में करने की कृपा कीजिएगा।


 (सत्यपाल)
 मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
 प्रा०खण्ड, लो०नि०वि०, लैन्सडौन।


 29/04/24
 श्रीक कुमार सिंह
 अधिशासी अभियन्ता
 प्रा०खण्ड, लो०नि०वि०, लैन्सडौन।

अनुरोध के अक्षर पर आवेदन करने का प्रारूप-2

1	2	3	4	5	6	7	8
नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद / तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु ऐच्छिक स्थान (10 नं०) वरीयता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
देवेन्द्र सिंह पांगती	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	प्रा0ख0, अल्मोड़ा	मुनस्यारी, जिला पिथौरागढ़	(1) निर्माण खण्ड, इल्हानी। (2) राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, इल्हानी। (3) प्रान्तीय खण्ड, रुद्रपुर। (4) ए0टी0बी0, पन्तनगर। (5) निर्माण खण्ड, रामनगर। (6) निर्माण खण्ड, खटीमा। (7) राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, देहरादून। (8) पी0आई0डी0 टनकपुर। (9) निर्माण खण्ड, देहरादून। (10) प्रान्तीय खण्ड, देहरादून।	धारा के नान के आगे ✓ लगाये <input checked="" type="checkbox"/> धारा (1) (ख) (एक) <input type="checkbox"/> धारा (1) (ख) (दो) <input type="checkbox"/> धारा (1) (ख) (तीन) <input type="checkbox"/> धारा (1) (ख) (चार) <input type="checkbox"/> धारा (1) (ख) (पाँच) <input type="checkbox"/> धारा (1) (ख) (छः) <input type="checkbox"/> धारा (1) (ख) (सात) (एक) (तीन)	प्रस्तुत राशियों का विवरण मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण पत्र।	महोदय, प्रार्थी की नियुक्ति दि० 08.05.1990 को विभाग में कनिष्ठ लिपिक के पद पर प्रथम नियुक्ति हुयी थी, जिसके उपरान्त कुल सेवा में 17 वर्ष अतिदुर्गम एवं 7 वर्ष दुर्गम क्षेत्रों के खण्डों में कार्य किया गया है। वर्तमान में स्वास्थ्य कारणों से परेशान हैं। जिसका मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण पत्र संलग्न है।


 देवेन्द्र सिंह पांगती
 मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
 प्रान्तीय खण्ड, सो०न्वि०वि०,
 अल्मोड़ा।


 (H0 पुनीत कुमार)
 अतिशारी अभियन्ता,
 प्रान्तीय खण्ड, सो०न्वि०वि०,
 अल्मोड़ा।

मण्डलीय चिकित्सा परिषद-नैनीताल।


प्रमाणित किया जाता है कि, श्री देवेन्द्र सिंह पांगती, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, वर्ष 55 कार्यालय- अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग अल्मोडा, जिनके हस्ताक्षर नीचे प्रमाणित किये जा रहे हैं, स्वास्थ्य परीक्षण हेतु आज दिनांक 05.03.2024 को मण्डलीय चिकित्सा परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

इनका स्वास्थ्य परीक्षण जिला चिकित्सालय नैनीताल से कराया गया, साथ ही इनके द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा अभिलेख उजाला सेन्टर हास्पिटल हल्द्वानी से प्रदत्त है को संज्ञान में लिया गया।

परीक्षणोपरान्त इन्हें CRK of RIGHT Hemisphere - ischaemic stroke
in Rt Medulla (05/2019) Pt need regular
follow up in medicine/neurology Dept
See review after 2 yr. (this year)
Pt need light duty

डॉ (श्री देवेन्द्र सिंह पांगती.)
डॉ प्रमाणित: 010एम्03ओ0


मुख्य चिकित्साधिकारी
नैनीताल


PRESIDENT
MEDICAL BOARD
NAINITAL


MEMBER
ON MEDICAL BOARD
NAINITAL


MEMBER
ON MEDICAL BOARD
NAINITAL

कार्यालय-मुख्य चिकित्साधिकारी, नैनीताल।

पत्रांक:- एम-5/2023-24

दिनांक मार्च 05, 2024

प्रतिलिपि- कार्यालय- अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग अल्मोडा, को उनके पत्र दिनांक 23.02.2024 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।


मुख्य चिकित्साधिकारी
नैनीताल

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र. सं.	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद / तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है।		टिप्पणी
						7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री मनोहर लाल	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि. कर्णप्रयाग।	अल्मोड़ा / भिकियासैंग	1. अ.ख. नवाली। 2. प्रा.ख. अल्मोड़ा।	धारा के आगे ✓ लगाये धारा 17 (1)(ख) (एक) ✓	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण चिकित्सा एवं स्वस्थता प्रमाण पत्र संलग्न है।	प्रार्थी का स्वास्थ्य अधिकतर खराब रहने के कारण प्रार्थी को स्वास्थ्य उपचार हेतु बार-बार हल्द्वानी जाना पड़ता है। अस्थायी खण्ड, लो.नि.वि. नवाली में कार्यरत मुख्य प्रशासनिक अधिकारी माह 05/2024 में सेवानिवृत्त हो रहे हैं तदोपरान्त रिक्त पद होने पर उनके स्थान पर प्रार्थी का स्थानान्तरण दुर्गम से सुगम स्थान पर अस्थायी खण्ड, लो.नि.वि. नवाली में करने की कृपा करें।
						धारा 17 (1)(ख) दो		
						धारा 17 (1)(ख) (तीन)		
						धारा 17 (1)(ख) (चार)		
						धारा 17 (1)(ख) (पाँच)		
						धारा 17 (1)(ख) (छः)		
						धारा 17 (1)(ख) (सात)		

नोट- कॉलम संख्या-07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम- मनोहर लाल,

पदनाम- मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष) 17.4.24

नाम- इ. नवीन लाल वर्मा

पदनाम- अधिशासी अधिकारी

प्रान्तीय खण्ड लो. नि. वि.
कर्णप्रयाग




Soban Singh Jeena Base Hospital

Haldwani, Near Roadways Bus Station, Nainital, Uttarakhand

Name: **MANOHAR LAL**
Gender: Male / Age: 57 Year
UHID: P23022179578

O.P.D Card बाह्य रोगी कार्ड
Date: **13-02-2023**
OPD Reg. Code: **R2302-110137**
Department: **General**
Valid Upto: **27-02-2023**

Cat.: Paid;
OPD Fee: 28.00
Print By: **opd1-4**



Date	History/Complaints :
	<p style="text-align: right;"><i>to Janku</i></p> <p>Examination <i>CP</i></p> <p>Investigations : <i>Acute low mekale</i></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><i>Red x 2 cell</i></p> <p style="text-align: center;"><i>5 red cell</i></p>

1. गर्भ में पल रहे भ्रूण की जांच दंडनीय अपराध है। बेटी को सम्मान दो जीवन उसको दान दो अनदेखी बेटियां करें पुकार ,मत करो यह अत्याचार ,मैं भी हूँ ,एक अंश तुम्हारा, मुझ से ही है वंश तुम्हारा।
2. बी० पी० एल० परिवार के व्यक्तियों को गंभीर रोगों के उपचार के लिए राज्य व्याधि निधि से १.५० (एक लाख पचास हजार) रुपये तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है। अधिक जानकारी हेतु मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/ मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय से सम्पर्क करें।

Self attested

Red x 2 cell
5 red cell



Soban Singh Jeena Base Hospital

Haldwani, Near Roadways Bus Station, Nainital, Uttarakhand

उत्तराखण्ड शासन

O.P.D Card बाह्य रोगी कार्ड

Name: MANOHAR LAL

Gender: Male / Age: 57 Year

UHID: P23062273771



Date: 12-06-2023

OPD Reg. Code: R2306-196435

Department: General

Valid Upto: 26-06-2023

Cat.: Paid:

OPD Fee: 28.00

Print By: opd1-4

Date	History/Complaints
	<p>cb pain (R) Abac for 2 days Vomity ↑ fever of 101.5 Body Irritation AL (R) Urine stone</p> <p>Investigations :</p> <p>T. O.P.D. - 02 x M - C. M. E. 7 x M - T. DICLOXAN - T. TAMSOLOXIN x HS</p> <p>→ Only Plenty of water - Take Rest for 7 days.</p>

1. गर्भ में चल रहे भ्रूण की जांच दंडनीय अपराध है। बेटी को सम्मान दो जीवन उसको दान दो अनदेखी बिटिया करे पुकार ,मत करो यह अत्याचार ,मैं भी हूँ ,एक अंश तुम्हारा, मुझ से ही है वंश तुम्हारा।
2. शी० पी० एल० परिवार के व्यक्तियों को गंभीर रोगों के उपचार के लिए राज्य व्याधि निधि से १.५० (एक लाख पचास हजार) रुपये तक व आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है। अधिक जानकारी हेतु मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/ मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय से सम्पर्क करे।

18/6/23

It is no symptoms better
- fit to join his duty

Self attested

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र. सं.	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/खण्ड का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐडिडक स्थान परिवर्तन क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री रमेश चन्द आर्या	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	निर्माण खण्ड लोडनिडिडि रुडकी	अल्मोड़ा/राजीवपुर	निडनख लोडनिडिडि रानीखेत प्रखण्ड लोडनिडिडि रानीखेत राडनख सखड लोडनिडिडि रानीखेत निडनख लोडनिडिडि अल्मोड़ा अल्मोड़ा लोडनिडिडि भरतपुरी निडनख लोडनिडिडि हल्द्वानी र-आ सखड लोडनिडिडि रडकी सखड लोडनिडिडि सखड लोडनिडिडि कालास निडनख लोडनिडिडि नैनीताल प्रखण्ड लोडनिडिडि अल्मोड़ा	धारा 17(1) (घ) (एक) धारा 17(1) (ख) (दो) धारा 17(1) (ख) (तीन) धारा 17(1) (ख) (चार) धारा 17(1) (ख) (पांच) ✓ धारा 17(1) (ख) (छ) धारा 17(1) (ख) (सप्त) ✓	प्रस्तुत राशियों का विवरण अतिरिक्त अतिरिक्त	प्रार्थी वारंशत कार्मिक है, जिलाका गृह जनपद अल्मोड़ा है, जो अपने घर से लगभग 500 किमी० दूरी पर रुडकी में कार्यरत है, प्रार्थी का सेवानिवृत्त का समय लगभग 7 माह रह चुका है। क्रमांक 6 पर अंकित प्रार्थी सुगम/दुर्गम स्थान के खण्डों पर कार्य करने का इच्छुक है। अतः अनुरोध है कि उक्त ऐडिडक स्थानों में से किसी 1 खण्ड में प्रार्थी का स्थानान्तरण करने की कृपा करें, ताकि प्रार्थी अपने पारिवारिक दायित्वों के साथ-साथ राजकीय कार्यों का भी सम्पादन सुचारु रूप से कर सकें।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

Rb
9/5/24

नाम-रमेश चन्द आर्या
पदनाम-मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

हस्ताक्षर (कार्यालयपाल)

(ई० मी० आरफ खान)

अधिशारी (अभियन्ता)
निर्माण खण्ड लोडनिडिडि रुडकी
25/5/24 09/05/24



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुड़की,
e-mail ID-cdpwdroorkee@yahoo.com



पत्रांक 9/8/4 ई0

दिनांक 09/5/2024

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
"व्यवस्थापन क" वर्ग
लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय— वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधन विकल्प प्रारूप-2 का प्रेषण करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ— इस कार्यालय के पत्रांक 869/4 ई0 दिनांक 04-05-2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें, जिसके तहत श्री रमेश चन्द्र आर्या, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी द्वारा वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अन्तर्गत अनुरोध के आधार पर उपलब्ध कराये गये विकल्प प्रारूप-2 में सूचना भरकर प्रेषित की गयी थी, जिसमें आंशिक संशोधन होने के कारण उनके द्वारा पुनः विकल्प प्रारूप-2 में सूचना अंकित कर प्रेषित की गयी है, जो आपको मूल में आवश्यक कार्यवाही हेतु संस्तुति सहित प्रेषित की जा रही है।

संलग्न-विकल्प प्रारूप-2।

(ई0 एम0ए0 खान)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुड़की

पत्रांक /4 ई0

तददिनांक

प्रतिलिपि— मुख्य अभियन्ता क्षेत्रीय कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— अधीक्षण अभियन्ता सिविल वृत्त लो0नि0वि0 हरिद्वार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रुड़की

प्राकृप - 2

क्र० सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु ऐच्छिक स्थान वरीयता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है।		टिप्पणी
क्र० सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु ऐच्छिक स्थान वरीयता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है।		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्रीमती सुरीला देवी आर्या।	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, बेरीनाग	अल्मोड़ा / अल्मोड़ा	1-निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हल्द्वानी 2-रा०मा० खण्ड लो०नि०वि०, हल्द्वानी 3-अ०ख०लो०नि०वि०, भवाली। 4-निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, नेनीताल। 5-प्रा०ख०लो०नि०वि०, नेनीताल।	धारा के नाम आगे लगाये () धारा 17 (1) (ख) (एक) () धारा 17 (1) (ख) (दो) () धारा 17 (1) (ख) (तीन) () धारा 17 (1) (ख) (चार) (✓) धारा 17 (1) (ख) (पांच) () धारा 17 (1) (ख) (छ) () धारा 17 (1) (ख) (सात)	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	महोदय मेरी आतिथि तक पूर्ण सेवा दुर्गम खण्डों में ही हुई है तथा मेरी उम्र 58 वर्ष हो गयी है तथा मे विधवा महिला हूँ।

नोट-कालम स०-07 में दर्शाये गये आधार के सम्यन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति सलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जायेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)



नाम- सुरीला देवी आर्या

पदनाम मुख्य प्रशासनिक अधिकारी।

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम- इं० राकेश प्रकाश नैथानी

पदनाम- अधिशासी अभियंता

अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०, बेरीनाग

बेरीनाग, (पिथौरागढ़)

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून।

द्वारा:- उचित माध्यम।

दिनांक 01/05/2024

विषय:- अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण चाहने बाबत।

उपरोक्त विषयक क्रम में सादर अनुरोध करना है कि प्रार्थिनी की नियुक्ति वर्ष 1990 में कनिष्ठ सहायक के पद पर निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा में हुई थी। प्रार्थिनी अपनी नव नियुक्ति के समय से ही दुर्गम खण्डों में ही कार्यरत रही हैं तथा विभिन्न पदों पर पदोन्नति के उपरान्त भी आतिथि तक दुर्गम क्षेत्र में ही कार्यरत हैं। वर्तमान में प्रार्थिनी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पर अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, बेरीनाग में कार्यरत हैं। महोदय सादर अवगत कराना है कि दुर्गम क्षेत्र में कार्यरत होने के कारण स्वास्थ्य परीक्षण की उचित सुविधा न होने का कारण अक्सर स्वास्थ्य खराब रहता है। प्रार्थिनी वर्ष 2026 में सेवानिवृत्त हो जायेगी। उम्र की अधिकता एवं अक्सर स्वास्थ्य खराब रहने के कारण राजकीय कार्यों का सम्पादन किये जाने में एवं पूर्ण मनोयोग से कार्य करने में कठिनाई हो रही है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि प्रार्थिनी की उक्त समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए सुगम क्षेत्र (हल्द्वानी, भवाली एवं नैनीताल) खण्डों में किसी एक खण्ड में स्थानान्तरण करने की महति कृपा कर दी जाय। ताकि प्रार्थिनी अपने स्वास्थ्य की देखरेख के साथ-साथ राजकीय कार्यों को पूर्ण मनोयोग के साथ सम्पादित कर सकें।

भवदीया

01/05/2024


(श्रीमती सुशीला देवी आर्या)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, बेरीनाग।


प्रतिलिपि-मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग, देहरादून को सादर सूचनाार्थ प्रेषित।

(श्रीमती सुशीला देवी आर्या)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, बेरीनाग।

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप - 02


नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जलपद / तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थानों परियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुसार अनुरोध किया गया है (साक्ष्यों सहित)		टिप्पणी
2	3	4	5	6	7	8	9
रमेश चन्द रमोला	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, उत्तरकाशी।	उत्तरकाशी/बुण्डा		धारा के नाम के आगे ✓ लगाये		1. ज- विवेक 2017 की धारा 55 वर्ष से अधिक आयु (वर्तमान में आयु 58 वर्ष 10 माह से अधिक की आयु) दिनांक 30.06.2025 को सेवानिवृत्त तिथि है, अथवा वरिष्ठ कार्मिक होने के कारण स्थानान्तरण के इच्छुक नहीं है। 2-17-(घर) उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति-पत्नी दुर्गम क्षेत्र में एक ही स्थान पर तैनाती हेतु पात्र/इच्छुक है। (संलग्न प्रमाण पत्र)
					धारा 17 (1) (ख) (एक)		
					धारा 17 (1) (ख) (दो)		
					धारा 17 (1) (ख) (तीन)		
					धारा 17 (1) (ख) (चार) ✓		
					धारा 17 (1) (ख) (पांच)		
					धारा 17 (1) (ख) (छः)		
					धारा 17 (1) (ख) (सात)		


 नाम - रमेश चन्द रमोला
 पदनाम - मुख प्रशासनिक अधिकारी
 प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० उत्तरकाशी


 नाम - इ० रजनीश कुमार
 पदनाम - अधिसारी अभियन्ता
 प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० उत्तरकाशी

कार्यरत प्रगठा पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती इन्द्रा रमोला W/O श्री रमेश चन्द्र रमोला सठ अठ सलठ श्रीठ आषा राठ उठमाठ विठ भकण्ड डुण्डा उत्तरकाशी में दिनांक. 22.04.2015 से अविरल कार्यरत हैं।
हम इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं।



प्रबन्धक
रा०उ०मा०वि० भकण्ड
डुण्डा (उत्तरकाशी)

10/05/2024

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप - 02

क्र० सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद / तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थानों परियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है (संख्याएँ सहित)		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रमेश चन्द रमोला	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड।	उत्तराखण्ड / दुण्ड		धारा के नाम के आगे ✓ लगाये		1. ज- विधेयक 2017 की धारा 55 वर्ष से अधिक आयु (वर्तमान में आयु 58 वर्ष 10 माह से अधिक की आयु) दिनांक 30.08.2025 को सेवानिवृत्त तिथि है, अथवा वरिष्ठ कार्मिक होने के कारण स्थानान्तरण के इच्छुक नहीं है। 2-17-(घार) उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति-पत्नी दुर्गम क्षेत्र में एक ही स्थान पर तैनाती हेतु पात्र/इच्छुक है। (संलग्न प्रमाण पत्र)
						धारा 17 (1) (ख) (एक)		
						धारा 17 (1) (ख) (दो)		
						धारा 17 (1) (ख) (तीन)		
						धारा 17 (1) (ख) (चार) ✓		
						धारा 17 (1) (ख) (पांच)		
						धारा 17 (1) (ख) (छ)		
						धारा 17 (1) (ख) (सात)		


 नाम - रमेश चन्द रमोला
 पदनाम - मुख प्रशासनिक अधिकारी
 प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० उत्तराखण्ड


 नाम - इ० रजनीश कुमार
 पदनाम - अधिशासी अभियन्ता
 प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० उत्तराखण्ड

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून।

द्वारा— उचित माध्यम।

दिनांक 01/05/2024

विषय— अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण चाहने बाबत।

उपरोक्त विषयक काम में सादर अनुरोध करना है कि प्रार्थिनी की नियुक्ति वर्ष 1990 में कनिष्ठ सहायक के पद पर निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा में हुई थी। प्रार्थिनी अपनी नव नियुक्ति के समय से ही दुर्गम खण्डों में ही कार्यरत रही हैं तथा विभिन्न पदों पर पदोन्नति के उपरान्त भी आतिथि तक दुर्गम क्षेत्र में ही कार्यरत हैं। वर्तमान में प्रार्थिनी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पर अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, बेरीनाग में कार्यरत है। महोदय सादर अवगत कराना है कि दुर्गम क्षेत्र में कार्यरत होने के कारण स्वास्थ्य परीक्षण की उचित सुविधा न होने का कारण अक्सर स्वास्थ्य खराब रहता है। प्रार्थिनी वर्ष 2026 में सेवानिवृत्त हो जायेगी। उम्र की अधिकता एवं अक्सर स्वास्थ्य खराब रहने के कारण राजकीय कार्यों का सम्पादन किये जाने में एव पूर्ण मनोयोग से कार्य करने में कठिनाई हो रही है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि प्रार्थिनी की उक्त समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए सुगम क्षेत्र (हल्द्वानी, भवाली एवं नैनीताल) खण्डों में किसी एक खण्ड में स्थानान्तरण करने की महति कृपा कर दी जाय। ताकि प्रार्थिनी अपने स्वास्थ्य की देखरेख के साथ-साथ राजकीय कार्यों को पूर्ण मनोयोग के साथ सम्पादित कर सके।

भवदीया

(श्रीमती सुशीला देवी आर्या)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, बेरीनाग।

प्रतिलिपि—मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग, देहरादून को सादर सूचनाार्थ प्रेषित।

01/05/2024
(श्रीमती सुशीला देवी आर्या)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, बेरीनाग।

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र.सं.	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	मनोज वर्मा	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर	अल्मोडा/ अल्मोडा	01. अस्थाई खण्ड भवाली 02. अस्थाई खण्ड बेरीनाग 03. निर्माण खण्ड हल्द्वानी 04. वि/यों खण्ड भीमताल 05. रा० मा० ख० रानीखेत 06. निर्माण खण्ड रानीखेत 07. प्रातीय खण्ड रानीखेत 08. रा० मा० ख० हल्द्वानी 09. निर्माण खण्ड बागेश्वर 10. प्रातीय खण्ड बागेश्वर	धारा के नाम के आगे लगाये धारा 17 (I)(ख) (एक) धारा 17 (I) (ख) (दो) धारा 17 (I) (ख) (तीन) धारा 17 (I) (ख) (चार) धारा 17 (I) (ख) (पांच) धारा 17 (I) (ख) (छ) ✓ धारा 17 (I) (ख) (सात)	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	

नोट - कॉलम संख्या-07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम- मनोज वर्मा

पदनाम-मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

हस्ताक्षर (कार्यालय/अधीन)

नाम- इ. राजवीर सिंह चौहान

पदनाम- मुख्य प्रशासकीय अभियन्ता
 प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
 गोपेश्वर

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र.सं.	नाम	पदनाम	सर्वोच्च न्यायालय का नाम	सदर जंक्शन / लहरील का नाम	स्थानांतरण हेतु 10 पंचिका स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा (17 (ख) के अनुसार अनुरोध का आधार (साक्ष्यों सहित)	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	कान्ति बल्लभ आर्य	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	प्रा० ख० लो० नि० वि० मिथौरागढ़	नेमीताल / नेमीताल	1. नि० ख० लो० नि० वि० हल्द्वानी 2. रा० मा० खण्ड हल्द्वानी 3. प्रा० ख० रुद्रपुर 4. नि० ख० रामनगर 5. नि० ख० रानीखेत 6. रा० मा० ख० रानीखेत 7. नि० ख० खटीमा 8. नि० ख० अल्मोडा 9. नि० ख० कारीपुर 10. प्रा० ख० अल्मोडा	1. धारा 17 (1) (ख) (एक) 2. धारा 17 (1) (ख) (दो) 3. धारा 17 (1) (ख) (तीन) 4. धारा 17 (1) (ख) (चार) 5. धारा 17 (1) (ख) (पाँच) 6. धारा 17 (1) (ख) (छः) 7. धारा 17 (1) (ख) (सात)		

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम *कान्ति बल्लभ आर्य*
 पदनाम *मुख्य प्रशासनिक अधिकारी*

हस्ताक्षर *[Signature]*
 Division P. W. D.
 PITHORAGARH
 नाम *विपिन कुमार*
 पदनाम *अधीक्षक*

सेवा में

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग
यमुना कालोनी देहरादून।

विषय—
सन्दर्भ—

अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।
आपका पत्रांक 127/93 व्यग-अधि०-उ०/2023 दिनांक 26-02-2024 एवं कार्यवाही
ज्ञाप सं० 1144/114 व्यग-अधि० उ०/2016 दिनांक 15-09-2016।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सादर संज्ञान में लाना है कि प्रार्थी वर्ष 2018 से गढ़वाल के अतिदुर्गम क्षेत्र निर्माण खण्ड लो०नि०वि० उत्खीमठ, गौघर, नैरतौण में कार्यरत था। वर्ष 2021 में पदोन्नति पर पुनः दुर्गम क्षेत्र प्रा० ख० लो०नि०वि० पिथौरागढ़ में कार्यरत है। महोदय प्रार्थी एक ही खण्ड में 2 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत है। प्रार्थी के बच्चे उच्च शिक्षा हेतु बाहर हैं घर में पत्नी का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण एवं यहाँ चिकित्सा की सुविधा न होने से उन्हें यहाँ रखा जाना सम्भव नहीं है साथ ही मेरी उम्र वर्तमान में 54 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। 6 वर्ष से लगातार अति दुर्गम क्षेत्र में तैनात रहने के कारण मैं भी बी०पी० एवं अन्य विमारियों से ग्रसित हो गया हूँ।

अतः अनुरोध है कि इस स्थानान्तरण सत्र 2024 में मेरा स्थानान्तरण अनुरोध के आधार पर निजी हित में उधमसिंह नगर / अल्मोड़ा / नैनीताल जनपद के किसी भी खण्ड में करने की महति कृपा किजिएगा।

सादर।

प्रार्थी

(कान्ति बल्लभ आर्य)

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
पिथौरागढ़

प्रतिलिपि - मुख्य अभियन्ता महोदय, लो०नि०वि० अल्मोड़ा को उक्त अनुरोध पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि - अधीक्षण अभियन्ता तृतीय गृह लो०नि०वि० पिथौरागढ़ को उक्त अनुरोध पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि - प्रान्तीय अध्यक्ष / प्रान्तीय महामंत्री / क्षेत्रीय अध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रीयल एसोशियेशन उत्तराखण्ड देहरादून / कुमाऊँ क्षेत्र को सूचनाार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मेरा स्थानान्तरण निजी हित में उधमसिंह नगर / अल्मोड़ा / नैनीताल जनपद के किसी भी खण्ड में करने की महति कृपा किजिएगा।


(कान्ति बल्लभ आर्य)

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
पिथौरागढ़

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का
प्रारूप-2

क्र० सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	ग्रह जनपद/ तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है।		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	श्री मातबर लाल	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि० बड़कोट	पौड़ी गडवाल/ पौड़ी	<ol style="list-style-type: none"> 1. निर्माण खण्ड लो०नि०वि० नरेन्द्रनगर। 2. रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि० खोईवाला। 3. प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० देहरादून। 4. निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० देहरादून। 5. रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि० देहरादून। 6. पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड लो०नि०वि० देहरादून (प्रत्याशा में)। 7. अनुरक्षण खण्ड, लो०नि०वि० देहरादून (प्रत्याशा में)। 8. आस्थाई खण्ड, लो०नि०वि० ऋषिकेश। 9. स्मार्ट सिटी कार्यालय देहरादून। 10. निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० रुड़की। 	धारा 17 (ग) (एक) (तीन)	संलग्नक	निर्माण खण्ड लो०नि०वि० नरेन्द्रनगर में कार्यरत मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा एक्ट की धारा 17(ख) (सात) के तहत किए गये आवेदन की प्रत्याशा में रिक्त होने वाले पद के सापेक्ष आवेदन

हस्ताक्षर (कार्मिक)



नाम:- श्री मातबर लाल

पदनाम:- मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

हस्ताक्षर (कार्यालयीय)



नाम:- इं० राजेश कुमार

पदनाम:- अधिशासी अभियन्ता

रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि० बड़कोट (उत्तरकाशी)।

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र० सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
						7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्रीमती गौरी सुन्दरियाल	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	निर्माण खण्ड लो०नि०वि० पौड़ी	पौड़ी/चौबट्टाखाल	1- रा०मा०, खण्ड श्रीनगर 2- अ०ख०, कीर्तिनगर 3- नि०ख०, श्रीनगर 4- प्रान्तीय खण्ड, रुद्रप्रयाग 5- प्रा०ख० पौड़ी	धारा के नाम के आगे ✓ लगाये <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (एक) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (दो) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (तीन) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (चार) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (पांच) <input checked="" type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (छः) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (सात)	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण - - - - - पारिवारिक परिस्थितियों के कारण प्रार्थिनी द्वारा अनुरोध के आधार पर दुर्गम से दुर्गम में स्थानान्तरण हेतु इच्छुक है। -	-

(गौरी सुन्दरियाल)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० पौड़ी

Sley
अधिसासी अभियंता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० पौड़ी
15.24

ह.स.:- 1538/22 ई.सी-06/24 दि-14/5/24

मूल में मुख्य अभियन्ता, मंत्रीय कार्यालय, लो.नि.वि.
देहरादून मंत्री विनोद कुमार, मुख्य प्रशा. अधिक. वा.खण्ड
पत्र संस्तुति सहित अग्रसारित।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, महोदय
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

अधीनस्थ अभियन्ता
मूल वृत्त लो० नि० वि०
उत्तरकाशी
7/5/24

द्वारा-

उचित माध्यम।

विषय-

अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी वर्तमान में निर्माण खण्ड लो०नि०वि० बड़कोट में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत है। महोदय प्रार्थी की 33 वर्षों की सेवा विभाग में दुर्गम एवं अति दुर्गम क्षेत्रों में रही है। प्रार्थी ग्राम गडोली, नांदलस्यूं तहसील-पौड़ी जनपद पौड़ी गढ़वाल का निवासी है।

अवगत कराना है कि मेरी माता जी का स्वास्थ्य खराब रहता है, जिनकी देख रेख की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। महोदय माता जी की देख रेख एवं स्वास्थ्य उपचार बड़कोट जिला-मुख्यालय उत्तरकाशी से कराना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि दिनांक 30.06.2024 को प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०, रुद्रप्रयाग/दिनांक 28.02.2025 को निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० दुगडडा के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी रुद्रप्रयाग/दुगडडा की अधिवर्षता आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्ति होगी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रिक्त पद के सापेक्ष मैं निजी हित में स्थानान्तरण हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा प्रारूप-1 एवं प्रारूप-2 पर स्थानान्तरण अधिनियम के निर्धारित प्रारूप पर भी ऐच्छिक स्थान भरकर प्रस्तुत कर दिये गये हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि मेरा स्थानान्तरण प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०, रुद्रप्रयाग में करने का कष्ट करें, जिससे कि मैं अपने राजकीय कार्यों के निर्वहन के साथ-साथ अपनी माता जी के स्वास्थ्य का भी देखभाल कर सकूँ, इस हेतु प्रार्थी आपका आजीवन आभारी रहेगा।

पत्रांक-677/4E

दिनांक 30/04/24 प्रार्थी

मूल रूप में अधिष्ठाता अभियन्ता 601 प्रस्त

लो० नि० वि०, उत्तरकाशी को संस्तुति सहित अग्रसारित करने हेतु अग्रसारित।

(विनोद कुमार)

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, बड़कोट।

अधीनस्थ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
बड़कोट (उत्तरकाशी)

प्रतिलिपि- प्रान्तीय अध्यक्ष/महासचिव उत्तराखण्ड गिनीस्ट्रीयल एसोसिएशन संघ देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रार्थी की समस्या को ध्यान में रखते हुए उचित कार्यवाही कायम रखने की कृपया करें।

04 MAY 2024
6वां वृत्त लोक निर्माण विभाग
उत्तरकाशी

कार्य का
दिनांक
4/5/2024
SAR
1538/04/24
04/5/24

(विनोद कुमार)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, बड़कोट।

Emp Code No 65005115

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र. सं.	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/तहसील का नाम	स्थानांतरण हेतु 10 दिवस का स्थान परिवर्तन करने में	एक की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ललित मोहन	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	अस्थाई रकब देहरादून ज्योनि वि० साहिब	पौड़ी गढ़वाल धुआकोट	1) निर्माण रकब देहरादून 2) रा० मा० रकब देहरादून 3) रा० मा० रकब डौंडवाली 4) ग्राहक रकब देहरादून 5) विद्युत/मानि रकब देहरादून 6) अ० रकब नट विके श 7) प्रान्तीय रकब हरिद्वार	धारा के नाम के खाने ✓ लगावे <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ब) (एक) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ब) (दो) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ब) (तीन) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ब) (चार) <input checked="" type="checkbox"/> धारा 17(1) (ब) (पांच) ✓ <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ब) (छ) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ब) (सात)	प्रस्तुत कारणों का विवरण माह 03/2026 में मेरी सेवानिवृत्ति हेतु प्रिक्त कानून बरिष्ठ न्यायिक होने के कारण पुरव्यात्म देहरादून में स्थानांतरण चाहता हूँ। ललित मोहन

नोट- कॉलम संख्या-07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वयम्प्रामाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक) Lalit
 नाम- ललित मोहन
 पदनाम- मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

हस्ताक्षर (कार्यालयीय) [Signature]
 नाम- प्र. मुख. कुमार
 पदनाम- अधिशासी अधिकारी
 कार्यालय, 20/07/2024
 साहिब, देहरादून
[Signature]


अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र.सं.	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद / तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान परिवर्तन कम में	एक ही धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
						7	8	
1	श्री शरु चन्द्र पंत	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	निर्माण खण्ड लोएनिएचि कपवाट	नैनीताल / नैनीताल	1. निर्माण खण्ड लोएनिएचि लोहाघाट 2. प्रांतीय खण्ड लोएनिएचि डीडीघाट	धारा के नाम के आगे <input checked="" type="checkbox"/> लगाये	प्रस्तुत राशियों का विवरण प्राथमता पत्र	पारिवारिक कारणों के कारण
						<input type="checkbox"/> धारा 17 (1) (ख) (एक)		
						<input type="checkbox"/> धारा 17 (1) (ख) (दो)		
						<input type="checkbox"/> धारा 17 (1) (ख) (तीन)		
						<input type="checkbox"/> धारा 17 (1) (ख) (चार)		
						<input type="checkbox"/> धारा 17 (1) (ख) (पांच)		
						<input checked="" type="checkbox"/> धारा 17 (1) (ख) (छ)		
						<input type="checkbox"/> धारा 17 (1) (ख) (सात)		

हस्ताक्षर (कार्मिक) 

नाम शरु चन्द्र पंत
पदनाम मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

हस्ताक्षर (कार्यालयीय)


नाम- अमित कुमार पटेल
पदनाम- अधिकारी अभियंता
नि० छ० लो० नि० वि०
कपवाट (बागेश्वर)

सेवा में।

प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष,
व्यवस्थापन "ग" वर्ग, लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

धारा- उचित माध्यम।

विषय- अनुरोध के आधार स्थानांतरण चाहने के संबंध में।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अनुरोध करना है कि प्रार्थी वर्तमान में निर्माण खण्ड लॉ०नि०वि० कपकोट (बागेश्वर) में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। प्रार्थी मूल रूप से जनपद नैनीताल, तहसील नैनीताल का निवासी हैं। प्रार्थी निजी कारणों से प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लोहाघाट में निजीहित में स्थानांतरण चाहता है, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लोहाघाट न हो पाने की स्थिति में प्रार्थी का स्थानांतरण अनुरोध के आधार पर निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, डीडीहाट करने की महती कृपा करें। प्रार्थी आपका आज्ञाकारी शिष्या।

आदर सहित।

विशेष
संस्तुति
शुभाक्षय
साहेब
14/05/24
अधिसाली अभियंता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट (बागेश्वर)


प्रार्थी
(चारु चन्द्र पंत)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
निर्माण खण्ड लॉ०नि०वि० कपकोट


- अग्रिम प्रतिलिपि- प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, व्यवस्थापक ग वर्ग लॉ०नि०वि० देहरादून को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
- प्रतिलिपि - प्रांतीय अध्यक्ष / महामंत्री मिनीस्ट्रीयल एसोसिएशन लॉ०नि०वि० उत्तराखण्ड को सूचनाार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आप अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करवाने का कष्ट करें।
- प्रतिलिपि - क्षेत्रीय अध्यक्ष / महामंत्री मिनीस्ट्रीयल एसोसिएशन लॉ०नि०वि० उत्तराखण्ड को सूचनाार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आप अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करवाने का कष्ट करें।
- प्रतिलिपि - जिलाध्यक्ष मिनीस्ट्रीयल एसोसिएशन लॉ०नि०वि०, बागेश्वर उत्तराखण्ड को सूचनाार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आप अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करवाने का कष्ट करें।

(चारु चन्द्र पंत)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
निर्माण खण्ड लॉ०नि०वि० कपकोट

अनुरोध के आकार पर आवेदन करने का प्रारूप (प्रारूप-2)

क्र. सं.	नाम	पदनाम	पदनाम कार्यालय का नाम	गृह जनपद/ तहसील	स्थानान्तरण हेतु 10 दैनिक स्थान	एक्ट की धारा वित्ते अन्तर्गत अनुरोध किया गया	टिप्पणी।	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-	दलीप सिंह विष्ट	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	अत्याई खम्ड, लोणनिधिचकराता।	देहरादून	1-अत्याई, लोणनिधिचकराता 2- राजा खम्ड देहरादून। 3- राजा खम्ड डंडवाला। 4- निष्ठा, लोणनिधिचकराता 5- अत्याई, लोणनिधिचकराता 6- प्रताप खम्ड, हरिद्वार। 7- अत्याई, लोणनिधिचकराता। 8- निष्ठा, लोणनिधिचकराता नरनगर। 9- निष्ठा, लोणनिधिचकराता। 10- निष्ठा, लोणनिधिचकराता।	धारा के नाम के अंगे लगव धारा 17 (1) (अ) (क) ✓ धारा 17 (1) (ख) (दं) धारा 17 (1) (उ) (तीन) धारा 17 (1) (घ) (चार) धारा 17 (1) (ङ) (पांच) धारा 17 (1) (च) (छ) धारा 17 (1) (ज) (सात)	प्रस्तुत संख्याओं का विवरण नैतिकल प्रमाण पत्र संलग्न है।	नहीं देय प्रार्थी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, जिसके कारण प्रार्थी वर्गित 8 स्थानों में से किसी एक स्थान पर निजी हित में स्थानान्तरण चाहता है। नैतिकल प्रमाण पत्र संलग्न है। अतः प्रार्थी स्वस्थ कारणों से स्थानान्तरण चाहता है।


 (हस्ताक्षर (कार्मिक)
 नाम-दलीप सिंह विष्ट
 पदनाम-मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
 अत्याई खम्ड, लोणनिधिचकराता


 हस्ताक्षर (कार्यालयीय)
 नाम इंदुलोक गोवाल
 पदनाम-अधिराज्य अभियन्ता
 अत्याई खम्ड, लोणनिधिचकराता



NAME OF PATIENT-	Mr. DALIP SINGH BISHT	TEST-REQUEST-ID	10214845
AGE / GENDER	53 Yrs Male	TEST / REGISTERED ON	08/11/2021 19:13:36
Referred BY DR	Dr. SUDHANSHU KALRA	REPORTED ON	08/11/2021 20:06:14

PNDT Registration No: AA/DM/212

MRI DORSOLUMBAR SPINE

MR Imaging was performed on a 1.5 Tesla MR Scanner using dedicated 16 Channel Spine array

Protocol:

Sagittal: T1 TSE, T2 TSE, STIR

Axial: T1 TSE, T2 TSE

Findings:

The study shows loss of normal curvature and alignment of the dorsolumbar spine.

Ligamentum flavum hypertrophy is seen in the dorsal canal at D8 to D11 levels indenting the thecal sac.

Loss of normal signal intensity and central protrusion of L1/L2, L3/L4 and L5/S1 discs is seen indenting the thecal sac.

Loss of normal signal intensity and right lateral protrusion of L4/L5 disc is seen compressing the right L5 traversing nerve root.

Normal height, morphology and signal intensity of the vertebral bodies.

The signal from the marrow of the visualized vertebrae is normal.

Dorsal spinal cord shows normal MR morphology and signal characteristics.

The conus and filar roots are normal.

The intervertebral discs are normal in height and MR signal intensity elsewhere.

There is no evidence of any cord / neural compression / canal stenosis elsewhere.

Posterior osseous and soft tissue structures are normal.

No pre / paraspinal soft tissue collection is seen.

IMPRESSION: Ligamentum flavum hypertrophy in the dorsal canal at D8 to D11 levels indenting the thecal sac.

Dessication and central protrusion of L1/L2, L3/L4 and L5/S1 discs indenting the thecal sac.

Dessication and right lateral protrusion of L4/L5 disc compressing the right L5 traversing nerve root.

Dr. Paramveer Singh Sabharwal
MD, DM (Neuroradiology)
UKMC 2197